समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2015 निगरानी निगरानी 2010-II-15

(28)

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ब्रा0
2. अशोक कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
3. अवनीश कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
4. अमित कुमार तनय बीरेन्द्र कुमार ब्राहमण निवासीगण ग्राम फुलहा , थाना व तहसील नईगढी , जिला रीवा म.प्र.।

.............आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 1/7/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

राजेन्द्र प्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्राहमण , निवासी ग्राम फुलहा, थाना व तहसील नईगढी , जिला रीवा म.प्र. हाल निवास ... पेट्रोल पम्प के पास ... पोस्ट ऑफिस ... के पास ... जिला रीवा म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क 668/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 4.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण -:

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि उक्त भूमि के मूल भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2010–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मान0 उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय के आदेशों की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि दो बार इस प्रकरण में अंतिम बहस हो जाने के पश्चात भी अंतिम आदेश पारित न हो पाने एवं पीठसीन अधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के कारण आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कं. 13749/2016 प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17–10–2016 को स्थगन जारी करते हुये इस न्यायालय को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये हैं। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिये कि अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपील प्रकरण कमांक 52अ/2006 में पारित आदेश दिनांक 23–9–08 आवेदक कमांक 1 को संपूर्ण सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा तथा दादी की वसीयत के आधार पर आवेदक कमांक 2 से 4 को 1/3 हिस्सा तथा अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद को 1/3 हिस्सा दिया गया है परन्तु अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के आदेश पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज जिला रीवा के सिविल अपील कमांक 52ए/06 में दिनांक	

23–9–2008 के द्वारा बटवारे के संबंध में आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त ने प्रथम व्यवहार न्यायालय के आदेश को विचारक्षेत्र में नहीं लिया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 23–9–2008 में आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही माना है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4–6–2015 अपास्त किया जाता है। व्यवहार न्यायालय के आदेश में कम में ही विचारण न्यायालय में आदेश पारित किया जाना है अतः प्रकरण तहसीलदार नईगढ़ी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में अंतिम आदेश पारित करें। प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य